

न्यायालय सभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:—जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1833

1. श्री कृष्ण उर्फ किशन कुशवाह पुत्र गयादीन कुशवाह निवासी गांव दबोहा मोड, कुशवाह, कॉलोनी, पुलिस थाना—कोतवाली, जिला—भिण्ड(मध्यप्रदेश)।

—अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोंडेन्ट

दिनांक: 23.12.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के अंतर्गत जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 के खिलाफ प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में दर्ज किया है कि अपीलार्थी श्री कृष्ण उर्फ किशन कुशवाह पुत्र गयादीन कुशवाह निवासी गांव दबोहा मोड, कुशवाह, कॉलोनी, पुलिस थाना—कोतवाली, जिला—भिण्ड(मध्यप्रदेश) वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में 10 वर्ष कारावास की सजा भुगत रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश हेतु आवेदन किया गया था जिस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर ने अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर) को भिजवाया गया, दिनांक 29.10.2025 को जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश दिनांक 03.11.2025 द्वारा अपीलार्थी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा समाज में पुनः स्थापित होने हेतु प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को प्रेषित किया गया था, जो जिला कलक्टर जयपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी के 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण पर पुनः विचार कर अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (प्रभारी अधिकारी न्याय) की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया गया है कि पैरोल प्रकरण के संबंध में उक्त दण्डित बंदी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर के पत्रांक 12321-23 दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार उक्त बंदी राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के उप नियम 16(2)(ए) के तहत प्रतिबंधित धारा से दण्डित होने के कारण पैरोल पर रिहा किये जाने की प्रवृत्ति नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के पत्रांक 30012-13 दिनांक 28.10.2025 के अनुसार उक्त बंदी की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होना एवं पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की गई है। परिवीक्षा कारागृह कल्याण अधिकारी जयपुर ग्रामीण के पत्रांक 4407 दिनांक 14.10.2025 द्वारा भी उक्त नियम के तहत दण्डित होने के कारण नियमानुसार पैरोल देय नहीं होना बताया है। उक्त पैरोल प्रकरण पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर की बैठक दिनांक 29.10.2025 में रखा गया, जिसमें अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पैरोल पर रिहा किये जाने की अनुशंसा नहीं की गई है। जिस आधार पर सर्वसम्मति से बंदी के पैरोल प्रार्थना पत्र को उक्त बैठक में अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

P.T.O.

(2)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया जिससे विदित होता है कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 15 के अनुसार पैरोल स्वीकृति को अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने का अवसर माना जाना चाहिये तथा कैदियों द्वारा पैरोल का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जावेगा तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी बंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर के समक्ष समाज में पुनःस्थापित होने के लिए 20 दिवस नियमित पैरोल स्वीकृत करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा उक्त बंदी के विरुद्ध राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के उप नियम 16(2)(ए) के तहत प्रतिबंधित धारा से दण्डित होने के कारण पैरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतित नहीं होने से जिला परामर्शदात्री समिति के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(पूनम)

संभागीय आयुक्त

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।